College of Community and Applied Sciences

Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur

☎: Office: +91-0294-2471914, 2470679(O), 9414169257(M) Email: deanchsc@yahoo.co.in , deanccas@mpuat.ac.in

Dr. (Mrs) Meenu Srivastava
Professor & Dean

No. CCAS /SS/2021/1541
Date: 06/02/2021

महाविद्यालय में कोविड –19 के लिए गाईडलाइन्स

सभी छात्र/छात्राऐं

सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर

राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–3) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 3 (3)/2020 जयपुर दिनांक 05.02.2021 एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सचिव के निर्देशानुसार निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाइन्स का पालन करते हुए (क्रमांक प. 33 (2) गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 01.02.2021) 8 फरवरी, 2021 से महाविद्यालय कि समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ की जायेगी। कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति 15 फरवरी, 2021 के उपरान्त विधिवत प्रारम्भ की जायेगी। जिसकी सूचना विद्यार्थियों को दे दी जायेगी। इससे पूर्व कक्षाएँ पूर्ववत (Online mode) पर ही संचालित रहेगी।

राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिए छात्रों को निम्नलिखित गाईडलाइन्स की पालना करना अनिवार्य है।

1. सभी छात्र–छात्राओं को संलग्न प्रपत्रानुसार **"अण्डरटेकिंग"** देना अनिवार्य होगा, जिसमें अभिभावक के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य होंगें। इसके अभाव में महाविद्यालय में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
2. अन्य राज्यों के विद्यार्थी छात्रावास में आने से पूर्व कोविड–19 की जांच रिपोर्ट साथ में लेकर आए, (जांच रिपोर्ट छात्रावास में आने से 3 दिन पूर्व की ही मान्य होगी)।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में आने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी एवं सेनेटाइज करना होगा।
4. महाविद्यालय परिसर में सामाजिक दुरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) का ध्यान रखना होगा।
5. कक्षाओं एवं आवागमन के दौरान फेश मास्क पहनना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय परिसर में बिना मास्क पाये जाने पर जुर्माना (राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा–4 के अन्तर्गत घोषित अपराध एवं धारा –11 के अनुसार) देय होगा।
6. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेन्सिंग रखनी होगी।
7. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
8. विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान यदि कोविड–19 के लक्षण पाये जाते है, तो तुरन्त महाविद्यालय प्रशासन को सुचित करना होगा।
9. महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय सेनेटाईजर/साबुन पानी के साथ बार–बार हाथ धोना अनिवार्य है।
10. सभी विद्यार्थियों को उनके मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप्प इन्स्टोल करना होगा तथा इसको उपयोग में लेना आवश्यक है।
11. श्वास–प्रश्वास के समय सफाई का ध्यान रखे एवं खांसते व छीकते समय मुंह व नाक ढककर रखे।
12. छात्रों को स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है एवं अन्य किसी बिमारी की भी महाविद्यालय प्रशासन को तुरन्त रिपोर्ट करना आवश्यक है।
13. छात्र अपने साथ स्वयं की पानी की बोतल लाए तथा यदि भोजन लाते है तो अन्य छात्र के साथ उसे सांझा नहीं करेंगें।

अधिष्ठाता